

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1029/2024

अनवान : -

1. इन्द्रावती पत्नी कृष्ण लाल (पुत्री नेकीराम) जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. इन्द्रावती पत्नी कृष्ण लाल (पुत्री नेकीराम) जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर  
- वादीयान

बनाम्

1. निमो उर्फ नीमा देवी पत्नी नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

3. कौशल्या पुत्री नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. गायत्री पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. दीपिका पुत्री मांगेराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गायत्री पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 12/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयान ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि वादीयान के पिता मृतक नेकीराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा तथा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है० भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीयान के पिता नेकीराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद निमा देवी (पत्नी), इन्द्रावती (पुत्री), चन्द्रावती (पुत्री), राजबाला (पुत्री), कौशल्या (पुत्र) व मांगेराम (पुत्र) हुए जिसमें से मांगेराम पुत्र नेकीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गायत्री (पत्नी) व दीपिका (पुत्री) है जिनका उपरोक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीयान की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीयान के पक्ष में परित्याग किया है एवं वादीया

ॐ

नही प्रतिवादीया संख्या 1 की सेवा चाकरी करती है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है० भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है० भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादीयान संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा वादीयान के मृतक पिता नेकीराम के नाम दर्ज रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादीयान ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी 5 ता 6 ब० हि० ब० काबिज है। वादीयान जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीयान ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादीयान ने तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क अंकित किया। वादीयान ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण निकुराम व मांगेराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीयान ने कथन किया कि वादीयान के पिता नेकीराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद

०१

निमा देवी (पत्नी), इन्द्रावती (पुत्री), चन्द्रावती (पुत्री), राजबाला (पुत्री), कौशल्या (पुत्र) व मांगेराम (पुत्र) हुए जिसमें से मांगेराम पुत्र नेकीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गायत्री (पत्नी) व दीपिका (पुत्री) है जिनका उपरोक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीयान की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीयान के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं वादीया नही प्रतिवादीया संख्या 1 की सेवा चाकरी करती है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादीयान संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा वादीयान के मृतक पिता नेकीराम के नाम दर्ज रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादीयान ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी 5 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है। तरतीवी प्रतिवादीगण को तर्क किया गया है क्योंकि उनका जो भी हक हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीयान के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीयान के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीयान ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीयान के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि वादीयान के पिता मृतक नेकीराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा तथा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के

01

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीयान का कथन है कि वादीयान के पिता नेकीराम पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद निमा देवी (पत्नी), इन्द्रावती (पुत्री), चन्द्रावती (पुत्री), राजबाला (पुत्री), कौशल्या (पुत्र) व मांगेराम (पुत्र) हुए जिसमें से मांगेराम पुत्र नेकीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गायत्री (पत्नी) व दीपिका (पुत्री) है जिनका उपरोक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादीयान की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीयान के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं वादीया नही प्रतिवादीया संख्या 1 की सेवा चाकरी करती है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादीयान संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा वादीयान के मृतक पिता नेकीराम के नाम दर्ज रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादीयान ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी 5 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादीयान के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता वादीयान द्वारा तरतीबी प्रतिवादीगण को तर्क अंकित किया गया है। वादीयान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक निकुराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में उपरोक्त तीनों खातों में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम

01

कलमजन किया जाकर वादीयान संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में मृतक नेकीराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादीयान को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी 5 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक ...12.11.2024... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1029/2024

अनवान : -

1. इन्द्रावती पत्नी कृष्ण लाल (पुत्री नेकीराम) जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. इन्द्रावती पत्नी कृष्ण लाल (पुत्री नेकीराम) जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर  
- वादीयान

### बनाम्

1. निमो उर्फ नीमा देवी पत्नी नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

### -प्रतिवादीगण

3. कौशल्या पुत्री नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. गायत्री पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. दीपिका पुत्री मांगेराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गायत्री पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

### - तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1029 सन 2024 निर्णय दिनांक 12.11.2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 156/76 के कुल खसरे 9 की कुल तादादी 1.3030 है0 भूमि एवं रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 583/320 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 7.4830 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 एनटीआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 180/107 के कुल खसरे 12 की कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में उपरोक्त तीनो खातों में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 40/38 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 3.0360 है0 भूमि में मृतक नेकीराम पुत्र रावताराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादीयान को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी 5 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर